प्रपत्र– 3

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर में कमेडी–मन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रगधरा–मजगाँव–चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

[illegible] शासन

[illegible] अभियन्ता,

[illegible]

[illegible] अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: ०-३ [illegible]

विषय:– मा0 मुख्यमंत्री घोषण सं0:–2138/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी से [illegible] स्याकोट मोटर मार्ग का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0:– 764/24(1) याता0 क/2015 दिनांक 01–08–2015 तथा [illegible] 6[illegible]/24(1) याता0 क/2015 दिनांक 10–07–2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2003–04 में शासनादेश सं0– 112/लो0नि0–2/2004–04(प्रा0आ0)/20004 दिनांक 06–02–2004 के संलग्नक के क्रमांक–83 पर स्वीकृत कार्य "जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी से भन्तोला स्याकोट मोटर मार्ग [illegible] किमी0 तथा लागत ₹ 27.80 लाख है, का नाम परिवर्तित कर " जनपद बागेश्वर में कमेड़ी–[illegible] मार्ग के किमी0 2.00 से रंगथरा–मजगांव–चौनाला मोटर मार्ग, किये जाने की माननीय श्री राज्यपाल [illegible] स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06–02–2004 के संलग्नक के क्रमांक–83 पर अंकित कार्य का मात्र [illegible]नुसार नाम में परिवर्तन किया गया है। उक्त मार्ग की लम्बाई तथा लागत में कोई परिवर्तन नही किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06–02–2004 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06–02–2004 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या–6762 (1)/III(2)/15–04(प्रा0आ0)/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. [illegible] अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
5. [illegible] वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, बागेश्वर वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट।
8. [illegible]

AE III / JE(T) / PAC (Budget)

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव